## निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

पीलीबंगा (9), विधानसभा निर्वाचन—क्षेत्र से राजस्थान (राज्य / संघ राज्य क्षेत्र) की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पिठत, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि श्री धर्मेन्द्र कुमार, वार्ड न0 8, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के पास, रावतसर, जिला— हनुमानगढ (राजस्थान), भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित को उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन की सीट को भरे जाने हेतु विधिवत् निर्वाचित किया गया है।

स्थानः— हनुमानगढ तारीखः— 11.12.2018

## **Conduct of Elections Rules 1961**

(Statutory Rules and Order)

## FORM 21 C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan from (9) Pilibanga(SC) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-SH. DHARMENDRA KUMAR, WARD NO – 8, NEAR OLD TELIPHONE EXCHANGE, RAWATSAR DISTRICT – HANUMANGARH (RAJ.) sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: HANUMANGARH

Date: 11 December, 2018

(SUB-DIVISIONAL OFFICER & SUB-DIVISIONAL MAGISTRATE PILIBANGA)

(9) PILIBANGA(SC) ASSEMBLY CONSTITUENCY